बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र0–07 / कम्प्यूटरराईजेशन–05 / 2017–5750 खाद्य, पटना / दिनांक– 14.12.18

प्रेषक,

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में नाम, पिता का नाम एवं अन्य डाटा के Mis-match होने के स्थिति में आधार कार्ड में अंकित नाम एवं विवरणी को ही नये राशन कार्ड में प्रविष्टि करने के संबंध में ।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 1597 दिनांक 29.03.2017 एवं पत्रांक 2014 दिनांक 26.04.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत राशन कार्ड के निर्गमन, नाम में संशोधन एवं रद्दीकरण की सेवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को सत्यापित कर जिलों द्वारा दिया जा रहा है । भारत सरकार के दिशा–निदेश के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत लाभुकों का सत्यापन का कार्य जिलों मे किया जा रहा है। राशन कार्ड के सत्यापन के क्रम में यह संज्ञान में आ रहा है कि राशन कार्ड एवं आधार कार्ड के विवरणी में आंशिक त्रुटियाँ पाई जा रही है । दिनांक 01.03.2017 को मुख्य सचिव महोदय, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में नाम, पिता का नाम एवं अन्य डाटा के Mis-match होने के स्थिति में आधार कार्ड में अंकित नाम एवं विवरणी को ही राशन कार्ड में संशोधन कर प्रविष्टि की जाय । इस संबंध में जन वितरण अन्न सॉफ्टवेयर में जरूरी संशोधन किया गया है, जिससे राशन कार्ड के लाभुकों के नाम का मिलान Demographic Authentication द्वारा UIDAI Server से किया जा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि राशन कार्ड के आवेदनों में आधार कार्ड की अद्यतन प्रति देने हेतु लाभुकों से अनुरोध करने की कृपा की जाय एवं उसी के अनुसार त्रुटियों का निराकरण करते हुए नया राशन कार्ड निर्गत किया जाय ।

विश्वासभाजन,
Sd/- 14/12
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–07 / कम्प्यूटरराईजेशन–05 / 2017–5756 खाद्य, पटना / दिनांक– 14.12.18
प्रतिलिपि – अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना / विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना एवं सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Sd/- 14/12/18
सरकार के अपर सचिव।

D:\YEAR-2015\SLC-06\A_Vivadi.doc